**भारत सरकार**

**विदेश मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1134**

**20.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**प्रवासी भारतीय बीमा योजना के तहत निपटाये गये दावे**

**1134. श्री के.सी. राममूर्ति:**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) के तहत इस योजना की शुरुआत से इसमें शामिल किए गए प्रवासियों का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) तब से पीबीबीवाई योजना के तहत आज तक निपटाए गए दावों का देश-वार ब्यौरा क्या है और इसमें विलंब के कार्णों, यदि कोई है, का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रवासी अधिनियम की दारा 2 (ण) के तहत दावा करने वाले दावेदारों के व्यवसायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रीमियम के रूप में प्रवासियों द्वारा कितनी धनराशि का भुगतान किया गया तथा दावे के रूप में अब तक निपटान की गई धनराशि का देश-वार विशेष रूप से अफगानिस्तान, सीरिया, दक्षिणी सूडान तथा इराक से संबंधित ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**विदेश राज्यमंत्री**

**[जनरल (डा.) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त)]**

**(क) से (घ)** प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवार्इ) र्इसीआर देशों में जाने वाले सभी उत्प्रवास जांच अपेक्षित (र्इसीआर) श्रेणी के कामगारों हेतु एक अनिवार्य बीमा योजना है। इस स्कीम में दुर्घटना से मृत्यु होने या स्थायी विकलांगता के मामले में दस लाख रुपए का बीमा कवर और नोमिनल इंश्योरेंस प्रीमियम पर कुछ अन्य लाभों का प्रावधान है। प्रारंभ में इस योजना को वर्ष 2003 में शुरू किया गया था और उत्प्रवासी कामगारों के लाभों को बढ़ाने के व्यापक उद्देश्य से इसमें वर्ष 2006, 2008 और 2017 में संशोधन किया गया है।

1 अगस्त, 2017 से प्रारंभ इस संशोधित पीबीबीवार्इ, 2017 योजना के द्वारा हमारे कामगारों के लाभ हेतु दावों का निपटारा सरल हो गया है और इसका उद्देश्य दावों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। अब इस योजना में निम्नवत प्रावधान किए गए हैं:-

1. नियोक्ता कर्मचारी के कार्यस्थल तथा निवास स्थल के निरपेक्ष अब यह योजना पूरी दुनिया को कवर करती है।
2. विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों द्वारा दुर्घटना में मृत्यु/स्थायी विकलांगता के बारे में जारी प्रमाण-पत्र को बीमा कंपनियों द्वारा स्वीकार किया जाना, और
3. ऑन लाइन नवीकरण की सुविधा और बीमा पॉलिसी की प्रति नामित/नामितों को उपलब्ध कराना।

जब कभी दावों के निपटारे से संबंधित कोई अभ्यावेदन प्राप्त होता है तो सरकार उस मामले को संबंधित बीमा कंपनियों के साथ तत्परता से उठाती है।

इस योजना के अंतर्गत दावेदार विभिन्न व्यवसायों से संबंधित हो सकते हैं और इन्हें उत्प्रवास अधिनियम की धारा 2 (ओ) में परिभाषित किया गया है और ये निम्नलिखित हैं:-

1. औद्योगिक या कृषि मजदूर सहित कोर्इ भी अकुशल कामगार;
2. कोर्इ घरेलू सेवा;
3. किसी होटल, रेस्टोरेंट, टी-हाउस या सार्वजनिक रिसाॅर्ट वाले किसी अन्य स्थान पर कोर्इ भी सेवा जो प्रबंधकीय क्षमता वाली सेवा न हो;
4. ट्रक या किसी अन्य वाहन के ड्राइवर, मैकेनिक, तकनीशियन या कुशल मजदूर या शिल्पकार के रूप में किया जाने वाला कार्य;
5. कार्यालय सहायक या अकाउंटेंट या टंकक या आशुलिपिक या सेल्समैन या नर्स या किसी मशीन के ऑपरेटर के रूप में किया जाने वाला कार्य;
6. किसी सिनेमा, प्रदर्शनी या मनोरंजन से संबंधित या उसके प्रयोजन से किया जाने वाला कार्य;

पीबीबीवार्इ के अंतर्गत बीमा पॉलिसी, र्इसीआर देशों में जाने वाले सभी उत्प्रवास जांच अपेक्षित (र्इसीआर) श्रेणी के कामगारों को जारी की जाती है। वर्ष 2014 में र्इ-माइग्रेट पोर्टल की शुरुआत करने के समय से ही सरकार ऑनलाइन उत्प्रवास स्वीकृति (र्इसी) जारी करती रही है। वर्ष 2014 से 30.11.2018 तक का देश-वार आंकड़ा अनुबंध-I पर दिया गया है।

बीमा कंपनियों से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 01.04.2014 से 31.10.2018 तक उत्प्रवासियों द्वारा 7,864 लाख रुपए के प्रीमियम का भुगतान किया गया है और 6,123 लाख रुपए के 789 दावों का निपटारा किया गया है। ब्यौरे अनुबंध-II पर दिए गए हैं। तथापि, बीमा कंपनियों ने सूचित किया है कि वे दावों के निपटारे के समेकित आंकड़े ही रखते हैं, देश-वार ब्यौरे नहीं।

\*\*\*\*\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **अनुबंध-I** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **जारी की गई उत्प्रवासन स्वीकृति का देश-वार एवं कैलेंडर वर्ष-वार ब्यौरा** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **क्र.सं.** | |  | | --- | | **वर्ष** | | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **देश** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **यूएई** | 224043 | 225718 | 163716 | 149962 | 103720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **केएसए** | 330002 | 308380 | 165355 | 78611 | 65542 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **कुवैत** | 80420 | 66579 | 72384 | 56380 | 52245 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **कतर** | 75997 | 59384 | 30619 | 24759 | 32492 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **ओमान** | 51319 | 85054 | 63236 | 53332 | 32316 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **बहरीन** | 14207 | 15623 | 11964 | 11516 | 8522 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **मलेशिया** | 22927 | 20908 | 10604 | 14002 | 15645 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **जोर्डन** | 2133 | 2047 | 2742 | 2341 | 1681 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | **इराक** | 3054 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | **अफगानिस्तान** | 127 | 70 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | **इंडोनेशिया** | 29 | 6 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | **थाईलैंड** | 53 | 10 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | **लेबनान** | 313 | 341 | 316 | 110 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | **सूडान** | 255 | 29 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | **सीरिया** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | **यमन** | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | **लीबिया** | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | **दक्षिणी सूडान** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**अनुबंध-II**

**भुगतान किए गए प्रीमियम, निपटाए गए दावों की संख्या और राशि का वित्तीय वर्ष-वार विवरण**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **अपेक्षित ब्यौरे** | **2014-15** | **2015-16** | **2016-17** | **2017-18** | **2018-19 (01.04.2018-31.10.2018)** | **कुल** |
| 1 | **पीबीबीवार्इ के लिए एकत्रित किए गए प्रीमियम (लाख में)** | 2572.11 | 2164.38 | 1400.22 | 1110.97 | 616.92 | 7864.6 |
| 2 | **निपटाए गए दावों की संख्या** | 336 | 221 | 109 | 89 | 34 | 789 |
| 3 | **निपटाए गए दावों की राशि (लाख में)** | 2055.08 | 1873.64 | 1048.86 | 816 | 330.25 | 6123.8 |